



क्रमांक 77 / 2025

शहडोल, दिनांक : 16.01.2025

॥ विज्ञापन ॥

(विश्वविद्यालय लोकपाल (Ombudsman) के पद पर नियुक्ति के लिए)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अधिसूचना दिनांक 11 अप्रैल 2023, छात्र शिकायत निवारण विनियम, 2023 कंडिका 6 के अनुरूप पंडित शंभूनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय, शहडोल में लोकपाल (Ombudsman) नियुक्ति हेतु आवेदन निम्नानुसार आमंत्रित किए जाते हैं—

पदनाम	पद संख्या	योग्यता	कार्यकाल	शुल्क
विश्वविद्यालय लोकपाल	01	लोकपाल वह व्यक्ति होगा जो शिक्षा अथवा अनुसंधान के क्षेत्र में प्रख्यात व्यक्ति होंगे, जो किसी विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हों।	लोकपाल को पद ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि अथवा सत्तर वर्ष की आयु होने तक, इनमें जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया जायेगा। कार्यकाल समाप्ति एवं समीक्षा उपरांत एक और कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा।	विश्वविद्यालय लोकपाल को सुनवाई हेतु यात्रा पर हुए किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति सहित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित किए गए मापदंडों के अनुसार, प्रतिदिन, प्रति बैठक के आधार पर शुल्क का भुगतान संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

आवेदक द्वारा आवेदन पत्र, बायोडाटा एवं आवश्यक दस्तावेजों की स्व-सत्यापित छायाप्रति के साथ स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक से पता— "कुलसचिव, पंडित शंभूनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय, शहडोल (म.प्र.) पर प्रेषित की जा सकेगी। आवेदन प्रेषित करने की अंतिम विधि 31 जनवरी 2025 है। अंतिम दिनांक पश्चात् प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा। सभी शर्तें संलग्न विनियम, 2019 के अधीन होंगी।"

(डॉ. आशीष तिवारी)

कुलसचिव

पंडित शंभूनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय
शहडोल म.प्र.